

नागरिक संघ और विवाह

प्रलिस के लयः

नजिता का अधकार, ववऱह का अधकार, धारा 377 IPC, वशऱष ववऱह अधनऱयऱम ।

मेन्स के लयः

भारत में समलैंगकऱ ववऱहों को वैध बनाना और चुनौतऱयऱँ ।

चरुा में कऱयों?

केंद्र ने ववऱह की "सामाजकऱ-कानूनी संसुथा" को कानूनी मान्यता प्रदान करने के नूयायपालकऱ के अधकार के आधार पर [सर्वोच्च नूयायालय](#) द्वारा [समलैंगकऱ ववऱह](#) को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचकऱओं की सुनवाई का वरऱध कऱया है ।

- केंद्र की आपत्तऱयऱँ के जवाब में भारत के मुख्य नूयायाधीश (CJI) ने स्पष्ट कऱया कऱ सुनवाई का दायरा एक "नागरकऱ संघ" की धारणा वकऱसतऱ करने तक सीमतऱ होगा, जसऱँ [वशऱष ववऱह अधनऱयऱम, 1954](#) के तहत कानूनी मान्यता मलऱती है ।

नागरकऱ संघः

परचऱयः

- "नागरकऱ संघ" एक कानूनी सथतऱतऱ है जो समलैंगकऱ जोड़ों को कुछ अधकार और जमऱमेदारऱयऱँ प्रदान करता है, यह आमतौर पर ववऱहतऱ जोड़ों को दी जाती है ।
- हालाँकऱ एक नागरकऱ संघ एक ववऱह जैसी सथतऱतऱ है और इसके साथ रोजगार, वरऱसतऱ, संपत्तऱ और पैतृक अधकार आते हैं, दोनों के बीच कुछ अंतर है ।

नागरकऱ संघ बनाम ववऱहः

- नागरकऱ संघ/सवलऱ युनयऱन एक ववऱह जैसी कानूनी स्वीकृतऱ है जो आमतौर पर समान लऱग के दो वूयकृतऱयऱँ को प्रदान की जाती है ।
- ववऱह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक धारमकऱ संसुथा है जो दो वूयकृतऱयऱँ (पुरुष और महलऱा) को ववऱह करने की अनुमतऱ देती है ।
- चूँकऱ समलैंगकऱ ववऱह, ववऱह की धरुम-आधारतऱ परभाषा के दायरे से बाहर है, इसलऱयऱ सवलऱ युनयऱन एक उपकरण है जो समान लऱग ववऱह का वकऱलप चुनने वाले जोड़ों को समान कानूनी सुरकूषा प्रदान करने के लऱयऱ तैयार कऱया गया है ।

अनूय देश जो नागरकऱ संघ की अनुमतऱ देते हैंः

- संयुक्त राजूय अमेरकऱः** वरूष 2015 में संयुक्त राजूय अमेरकऱ के सर्वोच्च नूयायालय (SCOTUS) ने "ओबेरूगेफेल बनाम होजेस" में अपने ऐतऱहासकऱ नरऱणऱ के साथ पूरे देश में समलैंगकऱ ववऱहों को वैध कर दऱया ।
 - वरूष 2015 से पहले अमेरकऱ के अधकऱंश राजूयों में नागरकऱ संघों हेतु कानून थे जो समान लऱग के जोड़ों को ववऱह करने की अनुमतऱ देते थे ।
- स्वीडनः** वरूष 2009 से पहले LGBTQ युगल नागरकऱ संघ के लऱयऱ आवेदन कर सकते थे और गोद लेने के अधकार जैसे लाभों का लाभ ले सकते थे । स्वीडन ने वरूष 2009 में समलैंगकऱ ववऱह को कानूनी मान्यता दी थी ।
- इसी प्रकार, **ब्राज़ील, उरुगूवे और चलऱी जैसे देशों ने भी ववऱह** के कानूनी अधकार को औपचारकऱ रूप से मान्यता देने से पहले ही [समलैंगकऱ जोड़ों](#) के नागरकऱ संघों में प्रवेश करने के अधकार को मान्यता दे दी थी ।

भारत में समलैंगकऱ ववऱहों की सथतऱतऱः

- हालाँकऱ [नवतेज सहऱ जौहर बनाम भारत संघ \(2018\)](#) मामले में सर्वोच्च नूयायालय ने [IPC की धारा 377](#) के तहत समलैंगकऱता को अपराध की शूरेणी से बाहर कर दऱया, लेकनऱ भारत में [समलैंगकऱ ववऱह को कानूनी दर्जा मलऱना अभी बाकी है](#) ।
- तब से सर्वोच्च नूयायालय के समकूष कई याचकऱएँ दायर की गई हैं और नूयायपालकऱ ने ऐसी याचकऱओं पर सुनवाई शुरू कर दी है तथऱ [वशऱष ववऱह अधनऱयऱम, 1954](#) के तहत नागरकऱ संघ के दायरे की तलाश कर रही है ।

- वशिष ववाह अधनियम, 1954 के तहत एक ववाह दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को ववाह के बंधन में बांधने की अनुमति देता है, जिसकी व्यक्तिगत/धार्मिक कानूनों के तहत अनुमति नहीं है।
- **LGBTQ अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण नरिणय:**
 - **केएस पुट्टासवामी बनाम भारत संघ, 2017:** नजिता के अधिकार पर इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का यौन अभविन्यास उसके नजिता के अधिकार के तहत आता है।
 - यह ऐतहासिक नरिणय IPC की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने का आधार बना जिसके तहत समलैंगिकता एक अपराध माना गया था।
 - **नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ, 2018:** सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की धारा 377 को इस हद तक खत्म कर दिया कि यह समलैंगिकता को अपराध मानती है।
 - यह भी कहा गया कि यौन अभविन्यास और लैंगिक आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
 - इसके अलावा **लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सफीन बनाम अशोकन और शक्ति वाहनी बनाम भारत संघ** के मामलों जैसे वभिन्न नरिणयों में यह माना गया है कि **जीवन साथी चुनना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार** है।

समलैंगिक ववाह को वैध बनाने के संबंध में तरक:

- **पक्ष में तरक:**
 - **'जेंडर' की एक व्यापक परिभाषा:** सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यहाँ पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। यह सरिफ उनकी शारीरिक रचना से कहीं अधिक जटिल है।
 - **परविरतन मौलिक नयिम:** समाज समय के साथ विकसित होता रहता है और समाज में परविरतन के साथ कानून भी विकसित होने चाहिये।
 - **कम कानूनी जटिलताएँ:** व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वशिष ववाह अधनियम, 1954 की व्यापक व्याख्या समलैंगिक ववाह को वैध बनाने हेतु पर्याप्त होगी।
 - **समानता को कायम रखना:** समलैंगिक जोड़ों को भी नजिता और स्वतंत्रता दी जानी चाहिये और उन्हें वभिन्नलैंगिक जोड़ों जैसे उपलब्ध समान अधिकार मिलना चाहिये।
 - इसके अलावा उन्हें कम नश्वर के रूप में नहीं माना जाना चाहिये और केवल इसलिये संतुष्ट होने कि अपेक्षा की जानी चाहिये क्योंकि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
- **वपिक्ष में तरक**
 - **सामाजिक स्वीकृति:** यह तरक दिया जाता है कि समाज यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि समलैंगिक ववाह वभिन्नलैंगिक ववाहों के सामान होना चाहिये।
 - समाज द्वारा किसी भी रशिते की स्वीकृति कभी भी वधिनों या नरिणयों पर नरिभर नहीं होती है।
 - **दायरे को बढ़ाने संबंधी मुद्दे: 'लगि' शब्द की व्यापक परिभाषा प्रदान करना समस्याप्रद हो सकता है;** यदि पुरुष की जैविक वशिषता वाला कोई पुरुष खुद को एक महिला के रूप में पहचानने लगता है, तो प्राधिकारों के लिये यह समस्या हो जाएगी कि उसे कानून के तहत पुरुष माना जाए अथवा महिला।
 - **कानूनी पेचीदगियाँ:** समलैंगिक ववाह को कानूनी मान्यता देने से कई कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। जैसे **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयाग (NCPCR)** का तरक है कि इसे कानूनी दर्जा देना **कशोर न्याय अधनियम, 2015 के खिलाफ** होगा।
 - उदाहरण के लिये इस अधनियम की धारा 5(2)A एकल पुरुष द्वारा एक बालिका को गोद लेने पर रोक लगाती है। समलैंगिक युगलों के लिये बच्चा गोद लेने में भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त **ववाह समवर्ती सूची का वषिय है**, समलैंगिक ववाह के वैधीकरण के लिये बहुत सारे कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय संवधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से ववाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 25
- अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

